# अध्याय- सप्तम
# सारांश एवं निष्कर्ष

## प्रस्तावना :

प्रस्तुत शोध माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रति लक्षित समूह में जागरूकता, अभिवृत्ति व लाभ: नई दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिला के स्लम्स में रहने वाले वरिष्ठ नागरिको का अध्ययन है। जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिको की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, लक्षित समूह में जागरूकता, अधिनियम के प्रति वरिष्ठ नागरिको की अभिवृति एवं लाभ जैसी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रति लक्षित समूह में जागरूकता, अभिवृत्ति व लाभ: नई दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिला के स्लम्स में रहने वाले वरिष्ठ नागरिको से जुड़े सभी तथ्यों को इंगित करते हैं। अध्याय शोध क्षेत्र के दौरान प्राप्त की गई प्राथमिक तथ्यों पर आधारित है, जिसमें वरिष्ठ नागरिको की आर्थिक-सामाजिक स्थित, वरिष्ठ नागरिको का अधिनियम के प्रति जागरूकता, अभिवृति एवं लाभ से संबंधी जागरूकता को महत्व दिया गया है। जिसके माध्यम से शोध-अध्ययन के सभी मुलभूत पहलुओं को सरलता से समझा जा सके। साथ ही शोध-अध्ययन की समग्र बिंदु अर्थात निष्कर्ष को भी शामिल किया गया है।

## शोध पद्धति का सारांश :

प्रस्तुत शोध का शीर्षक "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रति लक्षित समूह में जागरूकता,अभिवृत्ति व लाभ: नई दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिला के स्लम्स में रहने वाले वरिष्ठ नागरिको का अध्ययन किया गया था। प्रस्तुत शोध मुख्यत: वर्णात्मक अभिकल्प में आता है। यह शोध पूर्णत: मात्रात्मक स्वरूप में है एवं प्राप्त तथ्यों पर आधारित वरिष्ठ नागरिको के लिए समाज कार्य हस्तक्षेप भी सुझाएँ गए है। इस आधार पर यह शोध निदानात्मक शोध प्रारूप (Diagnostic Research Design) के अंतर्गत आता है। प्रथम चरण में अध्ययन के भौगोलिक क्षेत्र के 10 स्लम्स का चयन लोटरी तकनीक से किया गया। मटियाला जे.जे.कॉलोनी, 2. मंगलापूरी फेस 1 जे.जे. कॉलोनी, 3. मंगलापूरी फेस 2, जे.जे.कॉलोनी, 4. बिंदापुर जे.जे. कॉलोनी, 5. आर.के. पुरम जे.जे.कॉलोनी, 6. द्वारका सेक्टर-1, जे.जे.कॉलोनी, 7. गोयल डेरी जे.जे.कॉलोनी, 8. पालम फेस 3 जे.जे.कॉलोनी, 9. सागरपुर जे.जे.कॉलोनी एवं 10. उत्तम नगर जे.जे.कॉलोनी यह स्लम्स को शोध चयन किया गया। दूसरे चरण में चयनित 10 स्लम्स में से 120 प्रतिदर्श का चयन किया गया। तीसरे चरण में कुल 120 उत्तरदाताओं में से 60 पुरुष उत्तरदाता व 60 महिला उत्तरदाता लिए गए। यह लोटरी चयन तकनीक द्वारा किया गया।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक स्रोत से तथ्यों के संकलन करने के लिए साक्षात्कार पद्धति (Interview Methods) का उपयोग किया गया एवं प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार करने हेतु साक्षात्कार अनुसूची (Structured Interview Schedule) का प्रयोग किया गया। उत्तरदाताओं का प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार करने के बाद प्राप्त तथ्यों को Statistical Package for the Social Sciences (**SPSS**) के द्वारा तथ्यों का प्रक्रियन किया गया है तथा तत्यों को प्रस्तुत करने के लिए एक-चर, बहु-चर सारणी का उपयोग किया है। कुछ प्रमुख तथ्यों को आलेख के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया हैं। प्रस्तुत शोध कार्य में संदर्भ लेखन के लिए APA (American Psychological

Association) पद्धति किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्वितीय स्रोत के लिए ग्रंथालय प्रविधि (Library Methods) का उपयोग किया गया। इसके टूल्स के तहत चेक लिस्ट बनायी गई।

## अध्ययन के उद्देश्य :

1.उत्तरदाताओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
2.उत्तरदाताओं में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रति जागरूकता एवं प्राप्त लाभ का अध्ययन करना।
3.वरिष्ठ नागरिको में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, के प्रति अभिवृत्ति की स्थिति का अध्ययन।
4.वरिष्ठ नागरिको में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, के प्रति उचित जागरूकता बढ़ाने,अभिवृत्ति एवं मिलने वाले लाभों के लिए उपयुक्त निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत करना।

## प्रमुख शोध:

## अध्याय - 4 उत्तरदाताओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति

## सारांश :

प्रस्तुत अध्ययन में निम्न लिखित तथ्य पाए गए :

- आधे से अधिक 62.5 प्रतिशत उत्तरदाता 60 से 65 वर्ष के बीच हैं;
- आधे से ज्यादा 63.3 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित है, 2.5 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित हैं;
- एक तिहाई से अधिक 48.3 प्रतिशत उत्तरदाता विभक्त परिवार में रहते हैं, जबकि शेष 47.5 संयुक्त में रहते हैं;
- आधे से अधिक 58.5 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं;
- तीन चौथाई से अधिक 75.8 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्म से हैं;
- आधे से ज्यादा 65.0 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित है वहीं 0.8 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक है;
- आधे से कम 40.8 प्रतिशत उत्तरदाता पेंशन पर निर्भर हैं;
- तक़रीबन आधे से कम 45.0 प्रतिशत उत्तरदाता बड़े परिवार में रहते हैं;
- सबसे ज्यादा 70.8 प्रतिशत उत्तरदाता गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं;
- एक चौथाई से अधिक 91.7 उत्तरदाता स्वयं के घर में रहते हैं और 8.3 प्रतिशत उत्तरदाता किराये के घर में रहते हैं;
- 77 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास मीडिया के स्रोत बहुत कम हद तक उपलब्ध है।

# अध्याय-5 : उत्तरदाताओं की माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रति जागरूकता एवं उसका लाभ

## सारांश :

प्रस्तुत अध्ययन में निम्न लिखित तथ्य पाए गए :

- तक़रीबन आधे अर्थात 47.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को माता-पिता व वरिष्ठ नागरिको पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कोई अधिनियम बनाया गया है जानकारी है;
- सर्वाधिक 85.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अधिनियम 2007, का नाम नहीं जानते हैं;
- 62.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस अधिनियम की निर्धारित उम्र के बारे में सही जानकारी है;
- 74.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अधिनियम 2007 में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण का दायित्व किसे दिया है की जानकारी है;
- 68.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं को यह जानकारी नहीं है कि इस अधिनियम के तहत अगर उनकी खुद की संतान नहीं है तो उनके भरण-पोषण का दायित्व किसे दिया गया हैं;
- सर्वाधिक 90.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं को खुद की संतान व रिश्तेदार ना होने पर उनका भरण-पोषण कौन करेगा इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं हैं;
- सर्वाधिक 90.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अधिनियम 2007, में आवेदन कौन करेगा की जानकारी बिल्कुल नहीं हैं;
- सर्वाधिक 99.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अपने ही बच्चों से सह रहे आत्याचारों के खिलाफ आवेदन कहा करना है की जानकारी बिल्कुल नहीं;
- आधे से थोड़े अधिक 50.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को एक से ज्यादा संतान होने पर भरण-पोषण की जिम्मेदारी किस पर होगी की जानकरी बिल्कुल भी नहीं हैं;
- सर्वाधिक 95.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं को भरण-पोषण ना करने पर शिकायत कहां की जाती हैं कि जानकारी बिल्कुल भी नहीं हैं;
- सर्वाधिक 99.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं हैं कि भरण-पोषण व देखरेख के लिए आवेदन करने के कितने दिनों बाद हस्तक्षेप होता हैं;
- 76.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को विदेश में रह रहे वरिष्ठ नागरिको के बच्चों पर भी यह कानून लागू होता हैं की जानकारी नहीं हैं;
- 63.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस कानून के तहत उनकी संतान उन्हें क्या-क्या सुविधाएँ देनी होगी की जानकारी हैं;

- सर्वाधिक 98.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं इस अधिनियम 2007, में ट्रिब्यूनल के बारे में कोई जानकारी नहीं हैं;
- 55.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं को नहीं पता है कि संतान के कौन-कौन से व्यवहार को अपराध माना गया है;
- सर्वाधिक 89.2 प्रतिशत उत्तरदाता नहीं जानते की जो शिकायत करने के लिए सक्षम नहीं हैं तो उनकी ओर से उनके ऊपर हो रहे अत्याचार की शिकायत कौन कर सकते हैं;
- सर्वाधिक 99.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं इस अधिनियम में शिकायत दर्ज होने के कितने दिनों बाद करवाई की जाती हैं की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है;
- सर्वाधिक 99.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं को बिल्कुल जानकारी नहीं हैं कि अगर इसमें 30 दिनों के अंदर करवाई नहीं की गई तो वे क्या करेंगे;
- सर्वाधिक 74.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं नहीं जानते कि जब कोई वरिष्ठ नागरिक आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो क्या वो भरण-पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं;
- सर्वाधिक 88.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस बात कि बिल्कुल जानकारी नहीं हैं कि अगर वरिष्ठ नागरिक की कोई संतान नहीं है तो उनकी संपति का हकदार कौन होगा;
- आधे से कम 43.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं को पता है कि इस अधिनियम के सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिको के लिए बेड आरक्षित होते हैं;
- आधे से अधिक 66.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं इस अधिनियम के तहत इस बात की जानकारी है कि उनके दवाई के खर्चों में छूट प्राप्त हैं;
- सर्वाधिक 97.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं हैं कि इस अधिनियम के तहत दोषियों को कौन सी सजा दी जाती हैं।
- सर्वाधिक इस अधिनियम के तहत नई दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिला (शोध क्षेत्र) में लाभार्थी कोई भी नहीं हैं।

## अध्याय-6 : उत्तरदाताओं की माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रति अभिवृति एवं सुरक्षिता महसूसता

### सारांश :

प्रस्तुत अध्ययन में निम्न लिखित तथ्य पाए गए :

- आधे से कम 42 प्रतिशत उत्तरदाता की अभिवृति पूर्णत सकारात्मक हैं;
- आधे से ज्यादा 65.8 प्रतिशत उत्तरदाता MWPSC अधिनियम हर भारतीय वरिष्ठ नागरिक के लिए हितकारक है अभिवृति के कथन से सहमत है;

- आधे से ज्यादा 66.7 प्रतिशत उत्तरदाता MWPSC अधिनियम हर वरिष्ठ नागरिक के अधिकारो का संरक्षण करने हेतु सक्षम है अभिवृति के कथन से सहमत है;
- आधे से ज्यादा 71.7 प्रतिशत उत्तरदाता MWPSC अधिनियम हर वरिष्ठ नागरिक के अधिकारो का संरक्षण करने हेतु सक्षम है अभिवृति के कथन से सहमत है;
- आधे से ज्यादा 64.2 प्रतिशत उत्तरदाता किसी को भी जरुरत पड़ने पर मैं MWPSC अधिनियम का उपयोग करने मे उनकी मदद करूँगा/करुँगी अभिवृति के कथन से सहमत है;
- आधे से ज्यादा 64.2 प्रतिशत उत्तरदाता MWPSC अधिनियम यह एक सक्षम अधिनियम है" अधिनियम की अभिवृति के कथन से सहमत है;
- आधे से कम 47 प्रतिशत उत्तरदाताओं की अधिनियम 2007 के प्रति पूर्णत सुरक्षितता निर्मित है;
- आधे से अधिक 68.3 प्रतिशत उत्तरदाता खुद को सुरक्षित महसूस करने लगा हूँ/लगी हूँ के कथन से सहमत हैं;
- आधे से अधिक 65.0 प्रतिशत उत्तरदाता मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा सुनने वाला कोई है के कथन से सहमत है;
- आधे से अधिक 59.2 प्रतिशत उत्तरदाता मैं ये सोचने लगा हूँ कि अब मुझ पर अब अन्याय नहीं होगा के कथन से सहमत हैं;
- आधे से अधिक 62.5 प्रतिशत उत्तरदाता अब मैं बेघर नहीं होऊंगा;
- आधे से अधिक 64.2 प्रतिशत उत्तरदाता मेरे हक़ अब सुरक्षित हो गए है सुरक्षिता के कथन से सहमत है।

## परिकल्पना परीक्षण

### 1. उत्तरदाताओं की शिक्षा एवं उनकी माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रति जागरूकता संबंधित है।

सारणी 5.2 यह दर्शाती है कि स्नातक स्तर तक पढ़ चुके 100.0 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतः जागरूक है, तदुपरान्त उच्च माध्यमिक स्तर तक पढ़ चुके 66.7 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतः जागरूक है, माध्यमिक स्तर तक पढ़ चुके 43.8 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतः जागरूक है, उच्च प्राथमिक स्तर तक पढ़ चुके 33.3 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतः जागरूक है, प्राथमिक स्तर तक पढ़ चुके 50.0 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतः जागरूक है, अशिक्षित उत्तरदाता में से सिर्फ 2.6 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतः जागरूक है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रति जागरूकता उत्तरदाताओ की शिक्षा के स्तर से प्रभावित हो रही है एवं जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है वैसे ही जागरूकता का स्तर भी बढ़ रहा है। सारणी में Chi-Square Tests के माध्यम से स्पष्ट होता हैं कि Calculative value of Chi-Square 44.885[a] है। Degree of freedom 10 है एवं Level of significance .000 है जोकि .05 से कम है। इस आधार पर या कहा जा सकता है कि उपर्युक्त सारणी

में पाए गए तथ्य यथार्थपूर्ण हैं। इस आधार पर शून्य प्राप्त प्राकल्पना को अस्वीकार करते हुए शोध अध्ययन की परिकल्पना "उत्तरदाताओं की शिक्षा एवं उनकी माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रति जागरूकता सबंधित हैं।" यह स्थापित होती है । सारणी 5.2 में 12 सेल्स में मानक गणना 5 से कम होने के कारण Chi-Square Test के परिणामों को मान्य करने में बाधा उत्पन्न होती है।

## 2. उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रति जागरूकता संबंधित है।

सारणी 5.3 यह दर्शाती है कि 31.7 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाता पूर्णत जागरूक हैं, तदुपरान्त 5.0 प्रतिशत महिला उत्तरदाता पूर्णत जागरूक है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रति पुरुष उत्तरदाताओं में लिंग (gender)के आधार पर जागरूकता प्रभावित हो रही है। Chi-Square परीक्षण के माध्यम से स्पष्ट होता हैं कि Calculative value of Chi-Square 15.992[a] है। Degree of freedom 2 है एवं Level of significance .000 है जोकि .05 से कम है। इस आधार पर या कहा जा सकता है कि उपर्युक्त सारणी में पाए गए तथ्य यथार्थपूर्ण हैं। इस आधार पर शून्य प्राप्त प्रारकल्पना को अस्वीकार करते हुए शोध अध्ययन की परिकल्पना "उत्तरदाताओं का लिंग (gender) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रति जागरूकता संबंधित है।" यह स्थापित होती है । सारणी 5.2 में 0 सेल्स में मानक गणना 5 से कम होने के कारण Chi-Square Test के परिणामों को मान्य करने में बाधा उत्पन्न होती है।

## 3. उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रति जागरूकता संबंधित है।

सारणी 5.4 यह दर्शाती है कि नवोन्नत वर्ग 40.0 प्रतिशत पूर्णत जागरूक है, गरीबी रेखा के ऊपर जीवनयापन करने वाले 24.1 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णत जागरूक हैं, गरीबी रेखा के निकट जीवन यापन करने वाले 15.3 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णत जागरूक है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रति जागरूकता उत्तरदाताओ की आर्थिक स्थिति के स्तर से प्रभावित हो रही है एवं जैसे जैसे आर्थिक स्थिति बढ़ रही है वैसे ही जागरूकता का स्तर भी बढ़ रहा है। सारणी में Chi-Square Tests के माध्यम से स्पष्ट होता हैं कि Calculative value of Chi-Square 9.154[a] है। Degree of freedom 6 है एवं Level of significance .165 है जोकि .05 से कम है। इस आधार पर परिलक्षित होता है कि सारणी में पाए गए तथ्य यथार्थपूर्ण हैं। शोध अध्ययन में परिकल्पना "उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रति जागरूकता संबंधित है" स्थापित होती है। इस आधार पर इसको मान्य किया जाता हैं एवं शून्य प्राप्त प्राकल्पना को अस्वीकार किया जाता है। सारणी 5.4 में 7 सेल्स में मानक गणना 5 से कम होने के कारण Chi-Square Test के परिणामों को मान्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

## मूलभूत शोध प्रश्नों के जवाब

### 1. क्या वरिष्ठ नागरिको को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के संबंध में जानकारी/जागरूकता है?

आलेख 5.1 एवं सारणी 5.1 के अनुमापन तंत्र द्वारा निर्माण किये गए प्रश्नों के उत्तर में वरिष्ठ नागरिको को 23 प्रशन में से कुछ प्रश्नों की जानकारी है। जिसमें 62.5 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिको को जानकारी हैं कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक किसे माना गया है। 74.2 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिको को खासतौर पर मालूम है कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण का दायित्व किसे दिया है। 63.3 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक इससे वाकिफ हैं कि इस अधिनियम के तहत अभिभावक को कौन-कौन सी सुविधाएँ देना अनिवार्य हैं। 66.7 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक को पता है कि इस कानून के तहत वरिष्ठ नागरिक के लिए दवाई के खर्चे में छूट दी गई है की जानकारी है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जागरूकता के स्तर को जानने के लिए जो प्रश्न वरिष्ठ नागरिको से पूछे गए उन्हें उनकी जानकारी नहीं के बराबर है।

### 2. वरिष्ठ नागरिको में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, के प्रति अभिवृत्ति कैसी है?

आलेख 6.1 के आधे से कम 42 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिको की अभिवृति पूर्णत सकारात्मक हैं सिर्फ 7 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिको की अभिवृति नकारात्मक है। सारणी 6.1 के तथ्यों के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि सर्वाधिक 65.8 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक की अभिवृति यह है कि यह अधिनियम उनके लिए हितकारक है। आधे से ज्यादा 66.7 प्रतिशत उत्तरदाता MWPSC अधिनियम हर वरिष्ठ नागरिक के अधिकारो का संरक्षण करने हेतु सक्षम है अभिवृति के कथन से सहमत है। आधे से ज्यादा 71.7 प्रतिशत उत्तरदाता MWPSC अधिनियम हर वरिष्ठ नागरिक के अधिकारो का संरक्षण करने हेतु सक्षम है अभिवृति के कथन से सहमत है। आधे से ज्यादा 64.2 प्रतिशत उत्तरदाता किसी को भी जरुरत पड़ने पर मैं MWPSC अधिनियम का उपयोग करने मे उनकी मदद करूँगा/करुँगी अभिवृति के कथन से सहमत है। आधे से ज्यादा 64.2 प्रतिशत उत्तरदाता MWPSC अधिनियम यह एक सक्षम अधिनियम है" अधिनियम की अभिवृति के के कथन से सहमत है;

### 3. वरिष्ठ नागरिको में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के लाभ की स्थिति क्या है?

कोई भी अधिनियम या कानून लाभार्थी को ध्यान में रखकर बनाये तथा पारित किये जाते है। उसी प्रकार संतान द्वारा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिको पर बढ़ रहे अत्याचार को देखते हुए भारत सरकार द्वारा MWPSC अधिनियम, 2007 को पारित किया गया। MWPSC अधिनियम, 2007 माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिको के लिए बनाया गया है। ताकि आने वाले समय में इस अधिनियम के माध्यम से माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिको को उनके अपनों द्वारा हो रहे अत्याचारों से निवारण दिलाने में सहायक हो सके। परन्तु कोई लाभार्थी लाभ तभी प्राप्त कर सकता है जब उसे इस अधिनियम के बारे में जानकारी हो। प्रस्तुत शोध MWPSC अधिनियम, 2007 के बारे में लक्षित समूह के लाभ से

सबंधित जानकारी के लिए अध्ययन करने के पश्चात प्राप्त किये गए तथ्य संकलनो के विश्लेषण फलस्वरूप यह पाया गया कि इस अधिनियम के तहत नई दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिला (शोध क्षेत्र) में लाभार्थी कोई भी नहीं हैं। लाभार्थी न होने की वजह यह भी हो सकती है कि इस क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रति जागरूकता का अभाव है।

## 4. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 आने के बाद क्या लक्षित समूह खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं?

आलेख 6.2 के आधे से कम 47 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के प्रति पूर्णत सुरक्षितता महसूस करते हैं वहीं 6 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक की इस अधिनियम के प्रति असुरक्षितता महसूस करते हैं। सारणी 6.2 तथ्यों के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि अधिनियम के आने से 68.3 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं लेकिन 10 अर्थात 8.3 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक इस अधिनियम के आने से सुरक्षितता महसूस नहीं करते हैं। आधे से अधिक 65.0 प्रतिशत उत्तरदाता मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा सुनने वाला कोई है के कथन से सहमत है। आधे से अधिक 59.2 प्रतिशत उत्तरदाता मैं ये सोचने लगा हूँ कि अब मुझ पर अब अन्याय नहीं होगा के कथन से सहमत हैं। आधे से अधिक 62.5 प्रतिशत उत्तरदाता अब मैं बेघर नहीं होऊंगा। आधे से अधिक 64.2 प्रतिशत उत्तरदाता मेरे हक़ अब सुरक्षित हो गए है सुरक्षिता के कथन से सहमत है।

## निष्कर्ष :

अध्ययन से वरिष्ठ नागरिको की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि नई दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिला के स्लम्स में सर्वाधिक 62.5 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक 60 से 65 वर्ष के बीच हैं| जिसमें सबसे ज्यादा 63.3प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक उत्तरदाता विवाहित है, और एक तिहाई से अधिक 48.3 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक विभक्त परिवार में रहते हैं, जबकि शेष 47.5 प्रतिशत संयुक्त परिवार में रहते हैं। सर्वाधिक वरिष्ठ नागरिक 58.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। जिसमे से तीन चौथाई से अधिक 75.8 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक हिन्दू धर्म से हैं। तक़रीबन आधे से ज्यादा 65.0 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक अशिक्षित है, वहीं 0.8 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक स्नातक स्तर तक पढाई किये हुए हैं। आधे से कम 40.8 प्रतिशत के वरिष्ठ नागरिक के जीविका का माध्यम पेंशन। तक़रीबन आधे से कम 45.0 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक बड़े परिवार में रहते हैं, जिनकी संख्या (9 से 20 सदस्य) हैं। सबसे ज्यादा 70.8 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक गरीबी रेखा के निकट जीवनयापन करने वाले हैं, जिनका आय (960 रु से 2960/- माह) के अंतर्गत आते हैं। सर्वाधिक 91.7 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक स्वयं के घर में रहते हैं और 8.3 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक किराये के घर में रहते हैं। सर्वाधिक 77 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिको के पास मीडिया के स्रोत बहुत कम हद तक उपलब्ध है।

अध्ययन के दौरान माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रति जागरूकता से यह स्पष्ट होता है, कि 18 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक ही पूर्णत जागरूक है। जिसमें शिक्षा के आधार पर स्नातक स्तर तक पढ़ चुके हैं, जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के प्रति पूर्ण जागरूक हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे जागरूकता का स्तर में बढोतरी देखने को मिली हैं। जेंडर के आधार पर

महिलाओं की अपेक्षा पुरुष वरिष्ठ नागरिक अधिक जागरूक हैं एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर सर्वाधिक 40 प्रतिशत नवोन्नत वर्ग (Creamy Layer) के वरिष्ठ नागरिक में जागरूकता अधिक हैं।

अध्ययन के दौरान वरिष्ठ नागरिको की अधिनियम के प्रति 42 प्रतिशत अभिवृति सकारात्मक देखी गई एवं 7 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिको की अभिवृति अधिनियम के प्रति नकारात्मक पाई गई। इस अधिनियम के प्रति 47 प्रतिशत वरिष्ट नागरिक पूर्णत सुरक्षित मानते है जबकि 6.0 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिको में इस अधिनियम के प्रति सुरक्षिता बिल्कुल भी नहीं हैं। इस अधिनियम के तहत नई दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिला (शोध क्षेत्र) में कोई भी लाभार्थी नहीं हैं।

यह शोध मुख्य रूप से माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में वरिष्ठ नागरिको के जागरूकता के स्तर को देखा जाना था| जिसमें प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि जो शिक्षित वरिष्ठ नागरिक हैं, वे इस अधिनियम के प्रति पूर्णतः जागरूक हैं, परन्तु जो अशिक्षित हैं वे जागरूक नहीं हैं| उनकों जागरूक करने के लिए उनकी मुख्य समस्या की पहचान कर उन्हें परामर्श करना, समूह चर्चा तथा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया जाना चाहिए| जिससे वे इस अधिनियम के विभन्न पक्षों को जानकर कर इसका लाभ उठा सकें| जेंडर के आधार पर महिलाओं की अपेक्षा पुरुष वरिष्ठ नागरिक इस अधिनियम, 2007 के प्रति अधिक जागरूक हैं| अशिक्षित वरिष्ठ महिला में इस अधिनियम के प्रति जागरूक करने के लिए, उनके एवं उनकी संतानों के बीच समूह चर्चा, कार्यशाला एवं परामर्श करने की जरूरत हैं| आर्थिक स्तर पर जो वरिष्ठ नागरिक नवोन्नत वर्ग के है, उनमें जागरूकता का स्तर अधिक पाया गया परन्तु वही पर जो वरिष्ठ नागरिक, गरीबी रेखा के निकट जीवन यापन कर रहे हैं एवं जो गरीबी रेखा नीचे जीवनयापन कर रहे है उनमें जागरूकता का स्तर बहुत कम हैं | उसको बढ़ाने के लिए उनके क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक कर, दिवारों पर बैनर लगाकर एवं समूह चर्चा कर, उनकों एवं उनकी संतानों को भी जागरूक करने की आवश्यकता हैं|

प्रत्येक जीवन की तीन अवस्थाएँ होती हैं, उत्पति, विकास और ह्रास। मनुष्य जीवन में ह्रास की ओर अग्रसर होने की शरूआती अवस्था वृद्धावस्था से शुरू होती है। इस अवस्था में बुजुर्गों को हमेशा से जैविक, सामाजिक आर्थिक संस्थानों की छत्रछाया में एक सम्मानपूर्ण और उच्च स्थान मिलता रहा है| इन संस्थाओं में संयुक्त परिवार प्रणाली ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वृद्धों की देखभाल और सुरक्षा मूल्य प्रणालियों में अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी। आधुनिक और वैश्वीकरण के उत्थान और उनके साथ आने वाले घटनाक्रमों जैसे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, देशांतरगमन ने सामाजिक संस्थानों पर दवाब बढ़ा दिया है। परिणामस्वरूप सामाजिक संस्थान तेजी से कमजोर पड़ रहे है और उनकी संरचना बदल रही हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन और एकल परिवार के अविभार्व और साथ ही बढ़ती हुई जीवन की अपेक्षा और वयोवृद्ध आबादी में असाधारण वृद्धि ने समाज में वृद्धों के कल्याण और देखभाल के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी हैं। विकसित और विकासशील देशों में वृद्धों की आबादी और आयु रचना में परिवर्तन हुआ है। वृद्ध आबादी के मुद्दे और समस्याएं गहरी चिंता का विषय रही है और विकास के लिए एक चुनौती खड़ी करती हैं। हेल्पऐज इंडिया एवं ऐज केयर इंडिया जैसी बड़े स्तर के संगठन वरिष्ठ नागरिको की सुरक्षा एवं उनकी देखभाल को लेकर तत्पर होकर कार्य कर रही हैं। हेल्पऐज इंडिया द्वारा वरिष्ठ नागरिको की सुरक्षा एवं देखभाल से सबंधित वृद्धाश्रम का संचालन करने में छोटे-छोटे संगठनो को प्रचार-प्रसार के माध्यम से वरिष्ठ नागरिको की संतान को जागरूक करने में सराहनीय कार्य कर रही है। फिर भी वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा होना लगातार जारी हैं इसके लिए जो

अधिनियम बनाया गया है उनका उचित रूप में क्रियान्वयन होना अभी बाकी है। शोध से प्राप्त तथ्यों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिनियम 2007 के बारे में वरिष्ठ नागरिकों को अधिक जानकारी नहीं हैं। वरिष्ठ नागरिकों पर उनके अपनो द्वारा हो रहे अत्याचार के खिलाफ बनाए गए अधिनियम से स्वयं वरिष्ठ नागरिक अंजान हैं। अधिनियम 2007 के लिए सरकार को वृहद स्तर पर छोटे-छोटे गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट को एक जुट होकर कार्य कर जागरूकता लाने की बहुत जरूरत हैं। जागरूकता के माध्यम में नुक्कड़ नाटक, समूह चर्चा, परामर्श एवं कार्यशाला आदि को अपना कर वरिष्ठ नागरिक एवं उनकी संतान को जागरूक किया जा सकता हैं|

**संभाव्य समाजकार्य हस्तक्षेप**

- **केवल 36.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के बारे में बिल्कुल सही जानकारी हैं।**

इस परिप्रेक्ष्य में Resident Welfare of Association (RWA) के सदस्यों को समाज कार्य करने वाले संस्थाओं के साथ मिलकर अधिनियम, 2007 के संदर्भ में प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाये| जिससे वरिष्ठ नागरिको के साथ-साथ उनकी संतान को भी इस अधिनियम के प्रति जानकारी प्राप्त हो सके।

- **केवल 1.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के बारे में जानकारी है कि इस अधिनियम के तहत सिर्फ बेटे को उनके भरण-पोषण का दायित्व दिया गया हैं।**

इसका मुख्य कारण यह है कि समाज में पितृ सत्ता स्थापित होने के कारण परिवार को चलाने की जिम्मेदारी पुरुषों को हीं सौंपी गई हैं और महिलाओं को इन सभी कार्यों से वांचित रखा गया है और पुत्र ही कुल का नाम बढाएगा परन्तु माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिको के भरण-पोषण की जिम्मेदारी 18 वर्ष से अधिक बेटा, बेटी, पौत्र, पौत्री इन सभी को दिया गया है। इस सबंध में Resident Welfare of Association (RWA) के सदस्यों को उस क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक तथा उनकी संतान के साथ एक बैठक या कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए। जिससे वरिष्ठ नागरिको के साथ-साथ उनकी संतान भी इस अधिनियम के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हो सके तथा अपने बुजुर्गों के साथ कुछ बुरा करने से पहले जरूर सोच।

- **माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रति 1.7 प्रतिशत उत्तरदाता इस अधिनियम के सबंध में जागरूक नहीं होना चाहते हैं साथ ही अपने किसी वरिष्ठ मित्र से भी इस अधिनियम के बारे में जानकारी साझा नहीं करना चाहते हैं।**

वरिष्ठ नागरिक माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के संबंध में किसी भी प्रकार की जागरूकता प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ नागरिको का सबसे बड़ा सवाल है कि इस अधिनियम को लागू हुए 10 साल हो गए हैं परन्तु बुजुर्गों पर हो रहे अत्याचार में कमी नहीं आई हैं। अगर बेटे शादी से

पहले देखभाल करते हैं और शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि बेटों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता हैं और फिर वो हमारी अनदेखी करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत बहू को भी अपने बुजुर्गों के देखभाल की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए| जिससे की बेटा-बहू चाह कर भी अपने बड़े-बुजुर्गों के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार न कर सकें।

## उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए सुझाव

- वरिष्ठ नागरिको के लिए बनाए गये कानूनों के बारे में जानकारी के लिए जागरूकता अभियान होना चाहिए।
- वरिष्ठ नागरिको की सुरक्षा व देखभाल से सबंधित माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की जानकारी देने के लिए, हमारे संतान को परामर्श देने से संबंधित कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए।
- माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 से संबंधी किताबे आस-पास की दुकानों में मिलनी चाहिए।
- माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के संबंध में वरिष्ठ नागरिको के बीच बैठक व चर्चा होनी चाहिए।

## शोधार्थी द्वारा दिए गए सुझाव

- **सरकार के लिए सुझाव**

✓ वरिष्ठ नागरिको के देखभाल एवं सुरक्षा सबंधी नीति-नियोजन के प्रचार-प्रसार के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

✓ वरिष्ठ नागरिको से संबंधित सुविधाओं को महत्व दिया जाना चाहिए।

✓ पर्याप्त वित्तीय प्रबन्धन एवं संसाधन की उपलब्धता को महत्व दिया जाना चाहिए।

✓ वरिष्ठ नागरिको के देखभाल एवं सुरक्षा संबंधी अधिनियम तथा कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु जिला नियोजन समिति द्वारा निगरानी कार्य को महत्व दिया जाना चाहिए।

- **गैर-सरकारी संगठन के लिए सुझाव**

✓ गैर-सरकारी संगठन को समुदाय आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिको की देखभाल एवं सुरक्षा हेतु विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशाला जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रमुखता से शामिल करना चाहिए।

✓ गैर-सरकारी संगठनों को स्लम्स क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिको की देखभाल एवं सुरक्षा संबंधी कार्य के लिए वरिष्ठ नागरिको में से ही चुनाव कर स्वयं सेवी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी दिया जाना चाहिए।

✓ गैर-सरकारी संगठन को वरिष्ठ नागरिको की देखभाल एवं सुरक्षा संबंधी नीति-नियोजन हेतु समुदाय आधारित कार्यक्रम को शामिल करते हुए जन-स्वीकार्यता को महत्त्व देना चाहिए।

- ✓ गैर-सरकारी संगठन वृद्धों द्वारा किये जाने की दृष्टि से उपयुक्त कार्यों से उन्हें जोड़ना, ताकि वो कुछ आमदनी भी कर सके।
- ✓ गैर सरकारी संगठन वृद्धों के साथ धार्मिक एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करना, ताकि वृद्धों में सामूहिक जीवन की उपयोगिता की भावना बनी रहे।